श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर–452007
Phone: 0731-2432822, Fax : 0731-2536600
Email : lcmpenf@mp.gov.in Website :http://labour.mp.gov.in

क्रमांक 36/05/नवम/प्रवर्तन/2011/31740-52, इंदौर, दिनांक 17/07/19

प्रति,

समस्त सहायक श्रमायुक्त,
संभागीय श्रम कार्यालय, (म.प्र.)

विषयः– ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1970 के अन्तर्गत पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति जारी करने विषयक ।

संदर्भ :– म.प्र. राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26.09.2013 (संलग्न)

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित अधिसूचना जो कि पत्र के संलग्नित है, का कृपया अवलोकन करें।

2. उक्त अधिसूचना में विषयांकित अधिनियम यथा ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1970 के अन्तर्गत जारी किए जाने वाली अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के संबंध में क्षेत्राधिकार का उल्लेख है।

– उक्त अधिसूचना में वे जिले जहॉ श्रम पदाधिकारी पदस्थ नहीं हैं उन जिलों में सहायक श्रम आयुक्त को उक्त अधिनियमों में पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

– वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में कई जिले ऐसे हैं जिनमें श्रम पदाधिकारी पदस्थ नहीं है वे जिले या तो पूर्णतः रिक्त हैं अथवा उनमें सहायक श्रम पदाधिकारी पदस्थ हैं । अतः ऐसे जिलों में उक्त अधिनियमों में पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार अधिसूचना में वर्णित क्षेत्राधिकार अनुसार सहायक श्रम आयुक्त को है।

अतः समस्त सहायक श्रम आयुक्त उनके संभाग/क्षेत्राधिकार के इन जिलों में इन अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति हेतु लम्बित आवेदनों का 3 दिवस में निराकरण कर अनिवार्यतः इस कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार,

17/7/19.
(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त
मध्यप्रदेश इंदौर

अविरत..2,

Contect Act

क्रमांक 36/05/नवम/प्रवर्तन/2011/31753-91, इंदौर, दिनांक 17-7-19

<u>प्रतिलिपि :–</u>

समस्त श्रम पदाधिकारी कार्यालय की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे जिले जिनमें श्रम पदाधिकारी पदस्थ नहीं हैं उनके कार्यालय प्रमुख (सहायक श्रमायुक्त अथवा वरिष्ठ श्रम निरीक्षक) वे अपने संभाग के सहायक श्रम आयुक्त से सम्पर्क कर उक्त अधिनियम में पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति जारी कराये जाने हेतु कार्यवाही कर 3 दिवस में प्रतिवेदित करें।

17/7/19

श्रम आयुक्त
मध्यप्रदेश इंदौर